IMMEDIATE

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क0एफ.4(54)पट्टाअभि / विधि / पंरा / 2017 / 308 जयपुर, दिनांकः 17-4-17

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद, समस्त ।

विषय :- पट्टा आवंटन अभियान (14 अप्रैल, 2017 से 12 जुलाई, 2017)बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अभियान की अवधि में राज्य की ग्राम पंचायतों में जिस दिन शिविर आयोजित किया जायेगा, पट्टा/भू-खण्ड आवंटन से सम्बन्धित कार्य महज इस एक दिन के लिए ही सीमित नहीं रखना है, अपितु इस शिविर आयोजन दिवस से पूर्व एवं पश्चात दिवसों में भी दिनांक 14 अप्रैल 2017 से 12 जुलाई 2017 (90 दिवस) की पूर्ण अवधि में ग्राम पंचायतों द्वारा पट्टा/भू-खण्ड आवंटन से सम्बन्धित आवेदन प्रार्थना-पत्र प्राप्त किये जाकर, उनका निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

आपसे यह भी अपेक्षा है कि इस अभियान अवधि में "प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण" की पात्रता/वरीयता सूची में शामिल समस्त परिवारों को निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए भूमि/पट्टे आवश्यक रूप से आवंटित किये जायें ।

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः-
1. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रा0 वि0 एवं पंचायती राज ।
2. निजी सचिव, राज्य मंत्री, ग्रा0 वि0 एवं पंचायती राज ।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रा0 वि0 एवं पंचायती राज ।

उप शासन सचिव(विधि)

IMMEDIATE

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.4(54)पट्टाअभि/विधि/पंरा/2017/311 जयपुर, दिनांकः 17.04.2017

ज़िला कलेक्टर,
समस्त(राजस्थान) ।

विषय :– पट्टा आवंटन अभियान (14 अप्रैल, 2017 से 12 जुलाई, 2017)बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14 अप्रैल 2017 से 12 जुलाई 2017 (90 दिवस) की अवधि में ग्राम पंचायतों में चलाये जा रहे पट्टा/भू–खण्ड आवंटन अभियान के सम्बन्ध में आज दिनांक 17.4.2017 को माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज द्वारा की गई वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के दौरान अनेक ग्राम पंचायतों से यह शिकायत प्राप्त हुई है कि इस अवधि में आयोजित होने वाले शिविरों में पटवारी एवं अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा भाग नहीं लिया जा रहा है और ना ही आबादी भूमि का तस्दीकीकरण और पंचायत की आबादी भूमि का सीमाज्ञान किया जा रहा है । यह खेदजनक स्थिति है ।

अभियान हेतु पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि आप राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करायें । **इस अभियान की सतत मोनीटरिंग माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की जा रही है** । आपसे पुनः अनुरोध है कि **आप यह सुनिश्चित करें कि अभियान के दौरान शिविरों में पटवारी एवं तहसीलदार/नायब तहसीलदार आदि उपस्थित होकर, पंचायती राज अधिकारियों को वांछित सहयोग प्रदान करें** ।

17.4.2017
(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः–
1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रा0 वि0 एवं पं0 राज, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, राज्य मंत्री, ग्रा0 वि0 एवं पं0 राज, राजस्थान, जयपुर ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद, समस्त, राजस्थान ।

उप शासन सचिव(विधि).